मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

''मंत्रालय''

वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 1997

क्र. एफ 7-1-97/1/9

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त अपर सचिव,
समस्त उप सचिव/अवर सचिव,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—अधिकारियों द्वारा ''कृपया चर्चा करें'' टीप नस्ती पर अंकित न करने बाबत्.

जिला प्रशासन सुधार के संबंध में दीक्षित आयोग एवं रैना आयोग के प्रतिवेदन पर ब्रह्मस्वरूप समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर दिनांक 18-6-97 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6.2 में यह निर्णय लिया गया है कि सामान्यतः ''कृपया चर्चा करें'' या इसी प्रकार की टीप अंकित नहीं की जानी चाहिए. यदि चर्चा करना आवश्यक हो तो ऐसी टीप के साथ चर्चा हेतु समय व तिथि भी अंकित की जानी चाहिए.

2. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता./
(एम. एम. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.